दिनांक 14.10.2025
प्रेस विज्ञप्ति 18/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्कर करने वाले गिरोह के 02 तस्कर 537 पेटी अंग्रेजी शराब (कीमत लगभग 60लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 13–10–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्कर करने वाले गिरोह के 02 तस्करो को 537 पेटी अंग्रेजी शराब (कीमत लगभग 60लाख रूपये) के साथ जनपद–आजमगढ़ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– भीमा राम पुत्र मंगा राम निवासी सोमिनिया की घडी थाना ग्रामीण बाडमेर जनपद बाडमेर (राजस्थान)

2– योगेश कुमार पुत्र हरिराम निवासी कतराल थाना धोरीमना जनपद बाडमेर (राजस्थान)।

बरामदगीः–

1– 537 पेटी मैकडॉवल लिखी हुई अंग्रेजी शराब (कीमत लगभग 60लाख रूपये)

2– 01 अदद कण्टेनर ट्रक फर्जी नंबर प्लेट लगा हुआ।

3– 01 अदद मोबाइल फोन।

4– 4600/–रू0 नगद।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

पूर्वांचल एक्सप्रेस वे (कि0मी0 229) कन्धरापुर मोड, थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़। दिनांक 13–10–2025

अवैध शराब की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के उ0प्र0 में सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

इसी क्रम में निरीक्षक अनिल कुमार सिंह टीम के साथ दिनांक 13–10–2025 को जनपद आजमगढ में मौजूद थे कि विश्वस्त सूत्रो ज्ञात हुआ कि एक कण्टेनर ट्रक नंबर–एम0एच–04के0एफ0–4377 पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर खड़ा है, जिसमें पंजाब राज्य से भारी मात्रा में शराब लोड की गयी है जो बिहार राज्य में सप्लाई होनी है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा स्थानीय पुलिस एवं आबकारी विभाग जनपद आजमगढ को साथ लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे (कि0मी0 229) कन्धरापुर मोड, थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ से उक्त कण्टेनर ट्रक से 537 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तो से पूछताछ एवं अभिसूचना संकलन से पाया गया कि गिरफ्तार किये गये उक्त शराब तस्कर भीमा राम एवं योगेश कुमार द्वारा चण्डीगढ (पंजाब) के अन्तर्राज्यीय शराब तस्कर आशु के लिये काफी समय से काम किया जाता है। आशु द्वारा कण्टेनर ट्रक में अवैध अंग्रेजी शराब लोड कराकर एवं फर्जी कागजात देकर बिहार पहुचाने के लिये सेक्टर 26 ट्रान्सपोर्ट नगर चण्डीगढ में इसको दिया था जिसे बिहार के शराब तस्कर राहुल के बताये हुए स्थान पर सप्लाई करता था। शराब तस्कर आशु द्वारा इन्हें 12 लाख रूपये के नमकीन व चिप्स की फर्जी बिल्टी का कागजात बनाकर दिया गया था। कण्टेनर के अन्दर नमकीन व चिप्स रखा गया था तथा इसके बीच में अंग्रेजी शराब को छुपाकर रखा गया था, जिससे कि चेकिंग के दौरान पकडे न जा सके। इस काम के लिए आशु द्वारा प्रति चक्कर 01 लाख रूपये दिया जाता है।

आशु पंजाब सहित आस–पास के राज्यों से सस्ते दाम पर शराब खरीद कर ऊँचे दामों पर बिहार के शराब तस्करों को बेचता है। गिरफ्तार तस्करो से पूछताछ पर यह भी ज्ञात हुआ कि रास्ते में वाहन चेकिंग के दौरान जॉच अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन कागजात के साथ–साथ मात्र चेचिस नंबर का ही मिलान किया जाता है, इंजन नंबर कोई नही देखता है। इस लिये इन लोगों ने बरामद कण्टेनर का फर्जी नंबर–एम0एच–04के0एफ0– 4377 का कागजात तैयार कर ट्रक पर पहले से अंकित वास्तविक चेचिस नंबर को बदल दिया गया था, जिसे फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर पर अंकित चेचिस नंबर और ट्रक पर अंकित चेचिस नंबर समान हो जाये। बरामद कण्टेनर ट्रक पर लगे रजिस्ट्रेशन नंबर–एम0एच–04के0एफ0–4377 की जॉच कर वाहन मालिक से जरिये मोबाइल फोन सम्पर्क किया गया तो मालिक द्वारा बताया गया कि उक्त कण्टेनर ट्रक उसका नही है। उसका कण्टेनर ट्रक भिवांडी (महाराष्ट्र) में खड़ा है, तथा द्वारा वीडिया कॉल कर भिवांडी (महाराष्ट्र) में खडे कण्टेनर ट्रक को दिखाते हुये अपना वास्तविक रजिस्ट्रेशन नंबर आदि के कागजात व्हाट्स–अप पर भेजा गया। जिसकी छानबीन से पाया गया कि शराब तस्करों से बरामद कण्टेनर ट्रक पर फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ–साथ चेचिस नंबर भी बदल दिया गया था। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि बरामद शराब की बोतल पर उपलब्ध क्यू0आर0 कोड को आबकारी विभाग द्वारा जब चेक किया गया तो वह भी फर्जी पाया गया है, जिसकी जॉच की जा रही है।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों को मु0अ0सं0 317/2025 धारा 318(4)बी0एन0एस0 व 60/63/72 उ0प्र0 आबकारी अधिनियम थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस एवं आबकारी विभाग द्वारा किया जा रहा है।

कमिश्नरेट आगरा/थाना सिकंदरा

•50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

•01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 13.10.2025 को थाना सिकंदरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सुनारी चौराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त करीम उर्फ बुन्दा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना सिकंदरा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिकंदरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–करीम उर्फ बुन्दा निवासी जोगीपुर थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद बलिया/थाना दुबहड़

•पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

•01 मोटर साइकिल

•01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनॉकः 14.10.2025 को थाना दुबहड़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पर निकट जनेश्वर मिश्र सेतु जाने वाले रास्ते के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त अशोक कुमार उर्फ मुन्ना घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही

से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जनपद बलिया से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना दुबहड़ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अशोक कुमार उर्फ मुन्ना निवासी दरामपुर थाना फेफना जनपद बलिया।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद जालौन/थाना आटा

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 13.10.2025 को थाना आटा व थाना कोतवाली जालौन की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर उकासा मोड़ के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त रामजी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली जालौन पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म

का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद जालौन के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 20 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली जालौन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रामजी निवासी ग्राम संधी थाना आटा जनपद जालौन।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना भीटी

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 14.10.2025 को थाना भीटी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विषुही नदी पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त खरपत्तू उर्फ यूसुफ को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना भीटी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना भीटी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—खरपत्तू उर्फ यूसुफ निवासी पीठापुर खजूरी थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना शाहपुर

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **16 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **32 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर बरामद**

दिनॉकः 14.10.2025 को थाना शाहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मीराबाई फ्लाईओवर के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1— तसव्वर साहित

2–अरमान 3–इकरार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 16 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 32 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त तसव्वर थाना भोपा पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शाहपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–तसव्वर निवासी निरंजनपुर थाना लक्सर, हरिद्वारा हालपता–ग्राम दोडवसी थाना पथरी हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

2–अरमान निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना लक्सर जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

3–इकरार निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना लक्सर जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

बरामदगी

1–16 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–32 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

जनपद बहराइच/थाना दरगाह शरीफ

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **चोरी के 60 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनॉकः 14.10.2025 को थाना दरगाह शरीफ, स्वाट, सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर माल गोदाम रोड रेलवे स्टेशन के पास से 04 अभियुक्तों 1–शनि उर्फ अफजाल अहमद 2–फैजान उर्फ हमला 3–तनवीर 4–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की पीली–धातु के आभूषण, चोरी के 60 हजार रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना दरगाह शरीफ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दरगाह शरीफ पर अभियोग

पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपये उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना दरगाह शरीफ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शनि उर्फ अफजाल अहमद निवासी बगरहन टोला वार्ड नं0–01 कस्बा नानपारा थाना कोतवाली नानपारा जनपद बहराइच।

2–फैजान उर्फ हमला निवासी मोहल्ला कसगर कस्बा व थाना नानपारा जनपद बहराइच।

3–तनवीर निवासी बड़ी हाट थाना कोतवाली नगर जनपद बहराइच।

4–अभियुक्ता।

बरामदगी

1–चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–चोरी के 60 हजार रूपये नगद।

जनपद अमरोहा/थाना आदमपुर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **1 किलो 500 ग्राम अवैध चरस**
- **29 हजार 500 रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 13.10.2025 की रात्रि थाना आदमपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम मरौरा से 02 अभियुक्तों 1–रामकुँवर उर्फ छुट्टन 2–सचिन कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 1 किलो 500 ग्राम अवैध चरस, 29 हजार 500 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना आदमपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रामकुँवर उर्फ छुट्टन निवासी ग्राम मरौरा थाना आदमपुर जनपद अमरोहा।

2—सचिन कुमार निवासी ग्राम मरौरा थाना आदमपुर जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1—1 किलो 500 ग्राम अवैध चरस।

2—29 हजार 500 रूपये नगद।

3—02 मोबाइल फोन आदि।

➢ **जनपद गोरखपुर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 01 करोड़ रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद गोरखपुर पुलिस ने अभियुक्त दयाशंकर उर्फ देवेन्द्र निषाद उर्फ डायना पुत्र हरिलाल निषाद निवासी रामगढ़ रजही टोला रमसरिया थाना एम्स जनपद गोरखपुर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति कीमत करीब 01 करोड़ रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

➢ **जनपद कौशाम्बी/थाना महेवाघाट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को कठोर आजीवन कारावास की सजा व 31—31 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना महेवाघाट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1—हंसराज 2—छितानी को कठोर आजीवन कारावास व 31—31 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **जनपद सोनभद्र/थाना विण्ढमगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना विण्ढमगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5जे(2)/6 व 5एल/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रौतम कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————